मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

क्रमांक1149/1159/2018/ब-1/चार, भोपाल,दिनांक 13/11/2018

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,

शासन के समस्त विभाग ।

विषय:- उपयुक्त बजट शीर्ष में प्रावधान किया जाना तथा राशि का आहरण किया जाना।

विषयांतर्गत यह देखने में आया है कि कुछ विभागों के बजट में उपयुक्त व्यय शीर्ष में राशि उपलब्ध न होने पर आहरण अधिकारियों द्वारा अन्य असंबंधित शीर्षो से राशि आहरण करने हेतु देयक कोषालय में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यथा: मुद्रण कार्य से संबंधित देयक उद्देश्य शीर्ष-22 विस्तृत शीर्ष 007 से, रेल किराया/ऑटो किराया/क्रॉकरी/लेखन सामग्री/डीजल क्रय/स्वल्पाहार/कृषि कार्य आदि का भुगतान उद्देश्य शीर्ष- 12 मजदूरी से तथा अनुदान उद्देश्य शीर्ष -11 से । असंबंधित/असंगत व्यय शीर्षो से राशि के आहरण का प्रयास करना नियमों के विरूद्ध है।

2/ अत: अनुरोध है कि अधीनस्थ बजट नियंत्रण अधिकारियों तथा आहरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि उपयुक्त व्यय शीर्ष में बजट प्रावधान कराया जा कर उसी शीर्ष से राशि आहरण किया जाए ।

13/11/2018

(डॉ मनोज गोविल)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

क्रमांक1150/1159/2018/ब-1/चार, भोपाल,दिनांक 13/11/2018

प्रतिलिपि:-

आयुक्त,कोष एवं लेखा,संचालनालय,भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग